(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ङ) क्या इस प्रकार की समीक्षा और अधिनियमों को अद्यमान बनाए जाने के कार्य से आम जनता को लाभ पहुंचेगा और पर्यावरण के सुचारू और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तिय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्य है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो.सैफुद्दीन सोज):

(क) जी, हां।

(ख) वनों की सुरक्षा और प्रंबधन में स्थानीय समुदायों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान नीति में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस संशोधन में पूवोत्तर क्षेत्र के वनों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में कोई संशोधन करने का प्रस्तव नही है। वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की पुनरीक्षा का कार्य पूरा हो गया है और इसकी सिफारिशों भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति के विचारधीन है।

(ङ) और (च) संशोधित वन नीति में भोगधिकार में हिस्सेदारी के माध्यम से वनों की सुरक्षा और विकास में समुदायों की अधिकाधिक भागीदारी के तौर-तरीकों पर विचार किया जाएगा और वानिकी सेक्टर के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए संभावित स्रोतों के बारे में भी सुझाव दिया जाएगा।

जिमकार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क में भाग की खेती

1138. **श्री रामगोपाल यादव**:

श्री ईशदत्त यादव:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व प्रसिद्ध जिमकार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के सर्वाधिक रमणीक्क पर्यटन स्थलों पर भाग जैसे मादक पदार्थो की खेती हो रही है ;

(ख) क्या उक्त मादक पदार्थो की खेती उधान के वरिष्ठ अधिकारियों की सांठ-गांठ से हो रही है जिसके कारण प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई करने में विफाल है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार मादक पदार्थो की खेती करने वालों के विरूद्ध कब तक और क्या कार्रवाई करगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज):

(क) जी नही । यह सही है कि कार्बेट नेशनल पार्क हिमाचल की पादगिरियों में स्थित है जहां भांग का पौधा स्वत: उगता है । इसकी कोई खेती नही की जाती । स्वत: उगने वाले पौधों की संख्या कम करने के लिए, निधियों की उपलब्धता के अनुसार, उन्हे समय-समय पर उखाड दिया जाता है ।

(ख) जी नही ।

(ग) से (ड) प्रश्न नही उठता ।

Units Dealing with Poached Rare Animal Skins

1139. SHRI E. BALANANDAN:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have any idea of processing units in the country which deal with poached rare animal skins;

(b) who is the owner of the unit; and

(c) how Government are going to deal with the whole case?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SA1FUDDIN SOZ): (a) to (c) Although the country-wide position of units dealing in skins of poached rare wild animals is not available, whenever any such case comes to light, action is taken against such units under the wildlife laws and regulations.

Action against Poachers of rare Species of Animal

1140. SHRI BRATIN SENGUPTA:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) how many poachers of rare species of animasl have been brought to book so far since 1990;

(b) how many of them have been punished so far; and

(c) how many have been made ineffective for poaching?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

यमुना नदी की सफाई

1141. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा**:

डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना नही की सफाई करने के लिए कोई केन्द्रीय योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के प्रारूप का ब्यौरा क्या है उस पर कितना खर्च आएगा; और

(ग) यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी हां।

(ख) यमुना कार्य योजना राष्ट्री नदी संरक्षण योजना की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों का ही एक भाग है जिसके अन्तर्गत हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कार्यो को लिया गया है । यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली के अलावा हरियाणा के 12 शहरों और उत्तर प्रदेश के 8 शहरों को शामिल किया गया है । स्कीम में अवशेष जल के अवरोधन, दिशा परिवर्तन और उपचार तथा अल्प लागत शौचालय,शवदागृह आदि जैसे निर्माण कार्यो को शामिल किया गया है । स्कीम की अनुमानित लागत 479.56 करोड़ रूपए है ।

(ग) यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यो के मार्च, 1999 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

News-hem Captioned "Union Carbide paints Andhra Town Black"

1142. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:
DR. Y. LAKSHMI PRASAD:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Governmen't attention has been drawn to the report in the Indian Express dated 8th June, 1997 captioned "Union Carbide paints Andhra town black, makes residents see red"; and

(b) if so, what steps have been and are being taken to ensure that big industries causing such environmental hazards to different cities and towns are removed from the populated areas and proper treatment devices are used to minimise and eliminate air and water pollution, under the Ninth Five Year Plan?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS: (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Yes, Sir.

(b) Based on the press report, the Andhra Pradesh, State Pollution Control Board has inspected and directed Ms. Union Carbide to dispose of the solid waste properly to avoid nuisance in the surrounding areas.

The various steps taken by the Government to minimise pollution from big industries during the 8th and 9th Five Year Plans include the following:—

(i) Effluent & emission standards have been notified for major categories of polluting industries.

(ii) Large and medium sector industries in 17 categories of highly pol'uting industries have been directed to install necessary pollution control equipment within a stipulated time-frame and legal action is taken against the defaulting units.

(iii) Environmental guidelines have been evolved for sitting and operation of industries.

(iv) Industries have been asked to comply with the consent requirements of the State Pollution Control Boards.

(v) A scheme for preparation of Zoning Atlas for sitting of industries based on environmental considerations has been taken up.

(vi) Environmental clearance has been made compulsory for 29